न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-6,
कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-426/2016

सरकार बनाम अवधेश राय व अन्य

<u>आरोप</u>

मैं सत्यवीर सिंह यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-6, कुशीनगर, स्थान- पडरौना, आप 1- अवधेश राय, 2-फागू मुसहर, 3-रवी प्रकाश उर्फ रवी प्रसाद उर्फ छोटई, 4- रामचन्दर शर्मा व 5- शिवनरायन बिन्दी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

प्रथमः- यह कि दिनांक 11/12-03-1997 को समय 11.00 बजे रात में बहद ग्राम रकवा दुलमा पट्टी टोला बसुही, थाना- सेवरही, जनपद-पडरौना(कुशीनगर) स्थित वादी मुकदमा सुदर्शन प्रसाद कुशवाहा व उसके गाँव के रामनरेश कुशवाहा आदि के घर में घुस कर आप लोगो ने लूट-पाट किया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा-395 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपर्युक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने कट्टा से फॉयर कर घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट-पाट किया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा-397 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः- यह कि उपर्युक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों उक्त लूट-पाट शुदा/चोरीशुदा सामान को यह जानते हुए कि सामान लूट-पाट से प्राप्त किया गया है, को अभिप्राप्त किये। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा-412 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः मैं आप लोगों को आदेश देता हूँ कि आप लोगों का विचारण उपरोक्त आरोपों हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

(सत्यवीर सिंह यादव)

दिनांक-10.02.2017

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-6, कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

(सत्यवीर सिंह यादव)

दिनांक-10.02.2017

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-6, कुशीनगर, स्थान-पडरौना।